



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 21-09-2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसमें मौके से 54 पेटी अवैध पटाखे, 06 बोरे अर्द्धनिर्मित अनार पटाखे, 610 कट्टे गत्ते अर्द्धनिर्मित (पटाखे बनाने के), 12 कट्टे स्क्रैप पाउडर, 17 कट्टे लोहे का बारुदा, 2.12 कुन्तल विस्फोटक सामग्री, 05 मशीन पटाखे बनाने की तथा 01 वैट मशीन आदि सामान बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा एक अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है । जिसमे मौके से 54 पेटी अवैध पटाखे व 06 बोरे अर्द्धनिर्मित अनार पटाखे, 610 कट्टे गत्ते के अर्द्धनिर्मित(पटाखे बनाने के), 12 कट्टे स्क्रैप पाउडर, 17 कट्टे लोहे का बारुदा, 2.12 कुन्तल विस्फोटक सामग्री, 05 मशीन पटाखे बनाने की तथा 01 वैट मशीन आदि सामान बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 420/22 धारा 420 भादवि व 5/9बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-शकील पुत्र हबीबुद्दीन निवासी ग्राम पंसोडा थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- 26 पेटी अवैध अनार पटाखे ।
- 28 पेटी कलर फाग ।
- 06 बोरे (अर्द्धनिर्मित) अनार पटाखे ।
- 610 कट्टे गत्ते अर्द्धनिर्मित पटाखे बनाने के ।
- 22 किलोग्राम गंधक रंग पीला ।
- 02 कट्टे में लगभग 100 किलोग्राम एल्यूमिनियम पाउडर रंग सैलेटी (मिक्सर) ।
- 12 कट्टे स्क्रैप पाउडर ।
- 17 कट्टे लोहे का बारुदा(चूनस) ।
- 02 कट्टे कोटन रंग सफेद लगभग 50 किलोग्राम ।
- 01 कट्टा एल्यूमिनियम पाउडर लगभग 20 किलोग्राम ।
- 01 कट्टा बारुद (विस्फोटक) लगभग 20 किलोग्राम ।
- 05 मशीन (पटाखे बनाने की) ।
- 01 वैट मशीन ।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मौ0 आसिफ ।
2. उ0नि0 श्री मंजीत सिंह ।
3. है0का0 12 सतवीर ।
4. कां0 1008 मिथुन कुमार ।
5. कां0 24 तरुण कुमार ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 21-09-2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसमें मौके से 04 बोरे अवैध पटाखे (निर्मित व अर्धनिर्मित) एवं 04 कि०ग्रा०
विस्फोटक सामग्री बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा एक अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है । जिसमें मौके से 04 बोरे अवैध पटाखे (निर्मित व अर्धनिर्मित) एवं 04 कि०ग्रा० विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु०अ०सं० 421/22 धारा 420 भा०द०वि० व 5/9बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-युनुश पुत्र बाबू निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

● 04 बरे अवैध ढटाखे (नरुडरत ँव अरुधनरुडरत) ।

● 04 कुरगुरा0 वरुसुडुडक सरुडगुरी ।

गररुडुतर व डररुडदगी करुने वरुली डुलरुस डीड-

1. उ0नरु0 शुरी डरुकुल कुडरर ।

2.करु0 373 डडलू कुडरर ।

3.करु0 1049 वीकेश कुडरर ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 21-09-2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने 02 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार, जिसमें मौके से 01 कट्टा अवैध पटाखे (निर्मित व अर्धनिर्मित) एवं 27 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है । जिसमें मौके से 01 कट्टा अवैध पटाखे (निर्मित व अर्धनिर्मित) एवं 27 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- इरफान पुत्र अनीश निवासी नई बस्ती सुभाषनगर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2- रिजवान पुत्र अनीश निवासी नई बस्ती सुभाषनगर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 कट्टा अवैध पटाखे (निर्मित एवं अर्धनिर्मित) ।
- 27 किग्रा0 विस्फोटक सामग्री ।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह ।
2. है0का0 292 सिराज खान ।
3. का0 447 पंकज कुमार ।
4. का0 774 धर्मेन्द्र ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 21.09.2022

थाना रमाला पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 02 गौ तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 खोखा व 01 जिंदा कारतूस तथा गौकशी करने के उपकरण 02 अवैध छुरी, एक दाव, 04 रस्सी (प्लास्टिक) एवं एक मारुति ईको कार बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु/गौ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद 02 गौ तस्करो को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 खोखा व 01 जिंदा कारतूस तथा गौकशी करने के उपकरण 02 अवैध छुरी, एक दाव, 04 रस्सी (प्लास्टिक) एवं एक मारुति ईको कार बरामद बरामद हुए है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. नदीम राणा पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम रियावली नगला थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर ।
2. रिजवान पुत्र नसीर निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 खोखा व 01 जिंदा कारतूस ।
- गौकशी करने के उपकरण 02 अवैध छुरी, एक दाव, 04 रस्सी (प्लास्टिक) ।
- एक मारुति ईको कार नम्बर- UP-12BJ- 1391

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री धीरज कुमार

2-है0का0 88 रामअवतार सिंह

3-का0 23 अजयपाल



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनाँक 21.09.2022

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 274/22 धारा 363/506 भादवि में
वांछित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 274/22 धारा 363/506 भादवि में वांछित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला ।

2-का0 953 अंकुल कुमार ।



प्रेस नोट
थाना चाँदीनगर

दिनांक 21-09-2022

थाना चाँदीनगर पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चाँदीनगर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- राजेन्द्र पुत्र धनपाल निवासी ग्राम खड्डा प्रहलादपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 223/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 15/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 84/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 34/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 38/22 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
6. मु0अ0सं0 211/22 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अख्तर अली थाना चाँदीनगर ।

2-का0 745 गुलवीर थाना चाँदीनगर ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 21.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 908/22 धारा 353/332/506/427 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी डा. राजेश कुमार MD(MEDICINE) जिला अस्पताल ने सूचना दी कि अभियुक्त लोकेन्द्र पुत्र श्री तेजपाल निवासी महावीर एन्क्लेव बडौत रोड करबा व थाना बागपत द्वारा वादी को सीटी स्कैन के लिए न लिखने पर जान से मारने की धमकी देने, रजिस्टर फाड देने, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने व



हमलावर होने के सम्बन्ध में दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 908/22 धारा 353/332/506/427 पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 908/22 धारा 353/332/506/427 से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-लोकेन्द्र पुत्र श्री तेजपाल निवासी महावीर एन्क्लेव बडौत रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री वीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- का० 179 सचिन थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 21.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 910/22 धारा 147/148/307/427/504 भादवि व 7 सीएल एक्ट में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.2022 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि शौकत मार्केट में कुछ व्यक्तियों द्वारा कार सवार 04 युवकों के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट की जा रही है तथा उनकी कार में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं । सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर देखा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक डस्टर कार नम्बर DL-8CZ-3855 में बैठे 04



युवको के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की जा रही है । थाना कोतवाली पुलिस द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में मौके से 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, तथा थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 910/22 धारा 147/148/307/427/504 भादवि व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 910/22 धारा 147/148/307/427/504 भादवि व 7 सीएल एक्ट में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. दानिश पुत्र शराफत निवासी राशिद कालोनी दिल्ली रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री मधुरश्याम थाना कोतवाली बागपत।
- 2- उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2-का0 479 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 3-हो0गा0 361 राजेश कुमार थाना कोतवाली बागपत।